COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष माननीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल (87)

निग. 3395-पीबीआर/15 प्र. क्र. पी.बी.आर./ /निगरानी/15

(253) EW/44/177

1. तखतसिहं आ0 श्री प्रहलादसिहं
2. मोहनसिहं आ0 श्री तखतसिहं

निवासीगण ग्राम रायपुर तहसील हुजूर

जिला भोपाल म0प्र0 ....आवेदकगण

विरूद्ध

नारायणसिहं आ0 श्री प्रहलादसिहं

निवासी ग्राम रायपुर तहसील हुजूर

जिला भोपाल म0प्र0 .....अनावेदक

म0प्र भू–राजस्व सहिंता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

आवेदकगण विद्वान राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 257/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 13/07/2015 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आदेश कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने कि दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

श्री प्रेमसिंह अभि0 द्वारा आज दिनांक 07/09/15 को प्रस्तुत। 86 7/9/15 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर भोपाल संभाग, भोपाल

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निवासी ग्राम रायपुर तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क0 337/1, 338/2/2/क, 357/1, 357/3 खसरा क0 360/3 कुल रकवा 3.701 हेक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक क0 2 के नाम पर दर्ज है। आवेदकगण एवं अनावेदक एक परिवार के सदस्य है । पुर्व में उक्त भूमि के अतिरक्त अन्य भूमियां सयुक्त रूप से आवेदकगण एवे अनावेदक के परिवार के नाम पर दर्ज थी । अनावेदक ने परिवार के सदस्य को नियमानुसार जानकारी दिये विना ही सयुक्त खाते कि भूमि का एकपक्षीय रूप से बटवारा कर लिया । तथा एक पक्षीय रूप किये गये बटवारें के आधार पर अनावेदक द्वारा खसरा क0 327/2/1 रकवा 0.074 हे0 एवं खसरा क0 338/2/2/ख रकवा 0.809 हेक्टयर भूमि के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक के समक्ष सीमांकन बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक महोदय ने हल्का पटवारी को सीमांकन करने के आदेश दिये । परन्तु हल्का पटवारी द्वारा अनावेंदक को लाभ पहुचाने के उदेश्य से हितबद्व पक्षकारो को सूचना दिये बिना ही सीमाकन की कार्यवाही सम्पादित करते हुए सीमांकन प्रतिवेदन में आवेदक क0 1 उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा होने का उल्लेख किया गया । सीमांकन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3395-PBR/15 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 21-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	